न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

सोनी बनाम बिड़दी देवी आदि

किस्म मुकदमा प्रा.पत्र 212 RTA मु.नं. 118 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
08/08/25	वकील प्रार्थीया द्वारा यह आवेदन बाबत अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा ली गई। प्रकरण में वर्णित आराजियात के संबंध में भींवाराम दत्तक पुत्र रामेश्वर/प्रतिवादी सं. 2 की ओर से पूर्व में केवियट प्रार्थना-पत्र पेश हो चुकी है। अतः आवेदन दर्ज रजिस्टर हों। अप्रार्थीगण/केवियटकर्ता को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड डाक से तलब कर मिसल नियत तिथि 28.08.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर
14/8/25	पत्रावली में वकील प्रार्थीया/वादिया के मिसल तलबी नोटिस पर पेशी के लिये गई, वकील प्रार्थीया ने आवेदन अं.धारा 151 सीपीसी पेश किया। जो शामिल पत्रावली वास्ते जवाब उक्त आवेदन तलबी तिथि 28.8.25 को पेश हो।
28/8/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीया व वकील अप्रार्थी सं. 2/केवियटकर्ता उपस्थित। प्रकरण में पूर्व में वकील प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत आवेदन अं.धारा 151 सीपीसी दिनांकित 14.08.2025 का जवाब आवेदन वकील अप्रार्थी सं. 2/केवियटकर्ता की ओर से विशेष कथन सहित पेश किया गया, जो कि शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में वकील प्रार्थीया ने उनके आवेदन अ.धारा 151 सीपीसी के निस्तारण बाबत अनुरोध किया। वकील प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत आवेदन अं.धारा 151 सीपीसी दिनांकित 14.08.2025 में उल्लेखित तथ्यों के अनुसार "वाके ग्राम ढाणी कानोलाई पटवार हल्का नागवा तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित विवादित कृषि भूमियां खसरा सं. 450 रकबा 2.0700 हेक्टेयर, खसरा सं. 453 रकबा 0.5900 हेक्टेयर, खसरा सं. 456 रकबा 0.0100 हेक्टेयर, खसरा सं. 457 रकबा 0.0200 हेक्टेयर, खसरा सं. 458 रकबा 2.3000 हेक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 4.9900 हेक्टेयर एवं इसी ग्राम में अवस्थित कृषि भूमि खसरा सं. 449 रकबा 0.8000 हेक्टेयर, खसरा सं. 459 रकबा 1.6300 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.4300 हेक्टेयर जिसके पुराने खसरा सं. 210/1 रकबा 30 बीघा पुख्तां है। जिसके रिकॉर्डेड खातेदार स्वर्गीय किशना पुत्र गिदा रहे है। स्वर्गीय किशना पुत्र गिदा के वैद्य वारिस प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 है। इनके अलावा अन्य कोई स्वर्गीय किशना के वैद्य वारिस नहीं है। अप्रार्थीगण सं. 6 ता 12 द्वारा प्रार्थीया के कब्जा काश्त हक अधिकार में आये दिन परेशान करने के कारण एवं मौके की भौतिक स्थिति परिवर्तन कर प्रार्थीया के कब्जा काश्त से बेदखल करने धमकी दी गई और प्रार्थीया के [illegible] करने की फिराक में है। अगर प्रतिवादीगण सं. 6 [illegible] 12 [illegible] इस कुउद्देश्य में कामयाब हो गये [illegible] और बाद विविधता भी बढेगी। इस कारण प्रार्थी द्वारा [illegible] न्यायालय के समक्ष एक दावा बाबत उद्घोषणा अधिकार [illegible] एवं दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड का प्रस्तुत किया [illegible] है। जिसके साथ आवेदन अं. धारा 212 आर.टी.ए. प्रस्तुत किया गया है। विवादित कृषि भूमि स्व. किशना पुत्र गीदा की विरासत की कृषि भूमिया है। इस

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.17 11:55:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला -

सोनी .... बनाम .... बिड़दी देवी मा...

किस्म मुकदमा .... धारा 151 CPC .... मु.नं. ...118... वर्ष 2...

दिनांक	आज्ञा - पत्र
	कारण से प्रार्थीया का विरासत कानून के अनुसार विवादित कृषि भूमि में हक व हिस्सा निहित है। इस कारण से दावा व आवेदन लाने का प्रार्थीया को पूर्ण कानूनी अधिकार है। अतः निवेदन है कि वाकै ग्राम ढाणी कानोलाई पटवार हल्का नागवा भू–अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र नेतडवास तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित विवादित कृषि भूमियों के रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनायी रखें जाने के आदेश फरमाया जावें।"
	उक्त आवेदन का जवाब वकील अप्रार्थी सं. 2/ केवियटकर्ता की ओर से मदवार विशेष कथन सहित पेश किया गया, जिसमें सारतः उल्लेखित किया गया कि "मद सं. 1 में वर्णित तथ्य राजस्व रिकॉर्ड एवं सजरा खानदान के अनुसार सही होने के कारण स्वीकार है। मद सं. 2 जिस प्रकार से वर्णित की गई है। गलत होने से अस्वीकार है। विस्तृत विवरण विशेष कथन में अंकित है। विशेष कथन के अनुसार– वाके ग्राम ढाणी कानोलाई पटवार हल्का नागवा तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित विवादित कृषि भूमियां खसरा सं. 450 रकबा 2.0700 हेक्टेयर, खसरा सं. 453 रकबा 0.5900 हेक्टेयर, खसरा सं. 456 रकबा 0.0100 हेक्टेयर, खसरा सं. 457 रकबा 0.0200 हेक्टेयर, खसरा सं. 458 रकबा 2.3000 हेक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 4.9900 हेक्टेयर एवं इसी ग्राम में अवस्थित कृषि भूमि खसरा सं. 449 रकबा 0.8000 हेक्टेयर, खसरा सं. 459 रकबा 1.6300 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.4300 हेक्टेयर जिसके पुराने खसरा सं. 210/1 रकबा 30 बीघा पुख्ता है, जिसके रिकॉर्डेड खातेदार स्वर्गीय किशना पुत्र गिदा रहे है। अर्थात् उक्त विवादित आराजियात रामेश्वर को उसके पूर्वज किशना पुत्र गिदा के निरवसीयती फौत होने के कारण विरासत के आधार पर मिली है। किशना के रामेश्वर के अलावा चार पुत्रियां भी ओर है तथा विवादित कृषि भूमि जवाबदाता की पैतृक सम्पदा है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीया/वादिया का आवेदन अस्वीकृत कर खारिज फरमाया जावें।"
	बहस वकील प्रार्थीया व वकील अप्रार्थी सं. 2/केवियटकर्ता से उक्त आवेदन पर सुनी गई। सम्पूर्ण पत्रावली, उक्त आवेदन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। उक्त समग्र अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण में प्रार्थीया/वादिया के द्वारा हस्तगत प्रकरण से संबंधित मूल वाद सं. 144/2025 बउनवान सोनी बनाम बिड़दी देवी आदि वर्णित आराजियात के संबंध में बंटवारा, उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड बाबत तथा नामान्तरकरण सं. 137 दिनांकित 02.03.1964 के निरस्त किये जाने बाबत दावा विचाराधीन है। जिसके संबंध में प्रार्थीया/वादिया ने पैतृक संपति बताई जाकर प्रकरण में अपने नाम खातेदारी चाही है। जिसके साथ में प्रार्थीया/वादिया ने हस्तगत टी.आई. आवेदन को मूल वाद पेश कर ... पेश किया है। हस्तगत प्रकरण में अभी समस्त अप्रार्थीगण की ... होना अपेक्षित है। प्रार्थीया/वादिया द्वारा अपने तथ्यों के समर्थन में प्रार्थीया/वादिया के द्वारा ऐसा कोई सबूत/साक्ष्य/दस्तावेजात आदि पेश नहीं किया है जिससे उक्त आवेदन का पक्ष सबल हो तथा वर्णित तथ्यों की पुष्टि होती हों। अतः इस स्तर पर वकील प्रार्थीया/वादिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी को इसी स्तर पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला–सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.17 11:55:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

सोमी बनाम पिंड़ी ऐवी आदि

किस्म मुकदमा धारा 151 प्रार्थना मु.नं. 118 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा – पत्र
	अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वकील प्रार्थीया/वादिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी दिनांकित 14.08.2025 को इसी स्तर पर अस्वीकार किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली वास्ते पूर्व आदेशानुसार तलबी अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर्ड डाक सहित दिनांक 25.09.2025 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद ★ जिला–सीकर (राज.)
25/9/25	पत्रावली पेश हुई/वकील उभयपक्ष उपस्थित है P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य में व्यस्त/यात्रा पर/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 26/09/25 को पेश हो
26/9/25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण उप. पत्रावली को माननीय निबंधक महोदय, राजस्व मण्डल राज. अजमेर के यहां से तलब किया है अतः प्राप्त पत्र की पालना में पत्रावली माननीय उक्त न्यायालय के यहां स्थानान्तरित की जावे उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद ★ जिला–सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.17 11:55:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner